S.No.	District (ZSS)	1995-96	1996-97
9.	Gorakhpur	40,00,000	
10.	Banda	1,48,65,000	
11.	Lucknow	1,15,87,000	
12.	Bhadoi	40,00,000	
13.	Ghaziabad	13,64,000	
14.	Etah	30,00,000	
15.	Aligarh	1,39,20,000	
16.	Saharanpur	10,00,000	64,17,000
17.	Balia		40,00,000
18.	Pauri Garwal		20,00,000
19.	Sonbhadra		43,00,000
20.	Nainital		18,00,000
21.	Udham Singh Nagar		43,50,000
22.	Haridwar		47,80,000
23.	Ambedkar Nagar		15,00,000
24.	Varanasi		51,00,000
25.	Bulandshahar		23,18,000

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परियोजनाएं

2956. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन –कौन सी परियोजनाओ को कार्यन्वित किया गया थाअ और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विचार के लिये अग्रेषित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला कोष को आवंटित धनराशि

2957. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या संपूर्ण धनराशि देश में जरुरतमंद महिलाओं को उपलब्ध करा दी गई है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या जरुरतमन्द महिलाओं को ऐसी सहायता गैर –सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है;

(घ) यदी हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, और

(ड़) क्या कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठन का होना अनिवार्य है, यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) राष्ट्रीय महिला कोष के लिए वर्ष 1995-96 के बजट में एक लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। तथापि, कोष को कोरपस निधि प्रदान की गयी है, जिसमें वर्ष 1995-96 में 42 करोड़ रुपये का राशि उपलब्ध थी।

(ख) वर्ष 1996-96 में, 37,502 महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए 48 गैर –सरकारी संगठनों को 861 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया है। इस अवधि में मुख्य स्कीम के अन्तर्गत 534.126 लाख रुपये वितरित किये गए, जिससे लगभग 24.270 महिलाए लाभान्वित हुई ।

(ग) इस विभाग के पास इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि जरुरतमंद महिलाओं को अन्य गैर –सकरारी संगठनों द्वारा भी इस प्रकार की

सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय महिला कोष आयोत्पादन गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान कर रहा है।

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष द्वार गैर-सरकारी संगठनों की पात्रता हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं:

1. संगठन ऋण के लिए आवेदन करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत हुआ हो।

2. संगठन को बचत और ऋण क्रियाकलापों का पर्याप्त अनुभव हो।

3. ऋण वसूली की स्थिति अच्छी हो।

4. संगठन के लेखाओं और तुलन-पत्र की पिछले तीन वर्ष तक लेखा-परीक्षा की गयी हो तथा लेखा-परीक्षक ने कोई विपरीत टिप्पणी न की हो।

(ड़) जी, हां। इस प्रयोजनार्थ, संगठन लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

Need to Regulate Private Educational iustiluliuiu.

2958. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the UGC has drafted new regulations for admissions fee structure for self-financing courses in private non-aided professional institutions;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether private institutions in the country are charging high monthly fees and admission charges; and

(d) to what extent the new regulations of the UGC are going to clip the activities of private institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government.

(c) and (d) The Supreme Court has laid down a scheme for determining the fees to be charged by these institutions. UGC Regulations would be in conformity with the Supreme Court's directive in this regard.

त्रिपुरा में पूर्ण साक्षरता मिशन परियोजनाएं

2959. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी पूर्ण साक्षरता मिशन परियोजनाओं की जिला-वार संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा त्रिपुरा के गैर-सरकारी संगठनों के लिये मंजूर किया गया हैं;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के असंतोषजनक निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही शुरु की गई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण के?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वार त्रिपुरा राज्य में किसी गै-सरकारी संगठन को संपूर्ण साक्षरता अभियान की कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने त्रिपुरा राज्य में पौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति, त्रिपुरा खाशा, त्रिपुरा के एक गैर-सरकारी संगठन को एक परियोजना का अनुमोदन किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान, 9.47 लाख रु. की धनराशि अनुमोदित की गई है जिसमें 4.73 लाख रु. की धनराशि प्रथम किस्त के रुप में प्रदान कर दी गई थी। राज्य संसाधन केन्द्र का मौलिक कर्य इस राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों के लिए तकनीकी तथा शैक्षिक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराना है।

(ख) से (ड़) चूंकि संपूर्ण –साक्षरता अभियान की कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है अत: इस संबंध में ये प्रश्र ही नहीं उठते हैं।